न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 193/2016

1. गुरमेलसिंह
2. परमजीतसिंह
3. जसपालसिंह
4. बेयन्तसिंह

पिसरान श्री बलजीतसिंह उर्फ, मलकीत सिंह जटसिख निवासी चक 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **प्रार्थीगण**

–:: बनाम ::–

1. मक्खनसिंह
2. गुरमेलसिंह
3. कालासिंह

पिसरान श्री उजागरसिंह जाति जटसिख निवासी 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4. प्रधान गुरूद्वारा माफिक ग्रन्थी, गुरूद्वारा गांव 16 जैड जरिये प्रबन्धक।
5. रामअवतार सिंह पुत्र कर्मचन्द जाति मेघवन्सी निवासी 16 जैड तहसील गंगानगर।
6. स्टेट आफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
7. जगदेव कौर पत्नि श्री गुरबच्चनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. धर्मपाल पुत्र श्री कर्मचन्द जाति मेघवंशी

– – **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री तेजासिंह अधिवक्ता — प्रार्थीगण
2. श्री देशराज अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या पाँच

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 5-10-16

प्रार्थीगण द्वारा जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण चक 16 जैड के खाता संख्या 23/45 मुरब्बा नम्बर 1 के काश्तकार व खातेदार है। प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 1 में आनें व जानें के लिये आज से 40 साल पूर्व से मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता चल रहा है। और इस रास्ता से अपनें रकबा में आते जाते है। प्रार्थीगण को मुरब्बा नम्बर 1 में जानें के लिये मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21 ता 24 में रास्ता की जरूरत है जो मन्जूर करवाना चाहता है। अगर किला नम्बर 21 ता 24 में रास्ता मन्जूर हो जाता है, तो प्रार्थी अपनें खेत में पहुँच जायेगें। इसलिये किला नम्बर 21 ता 24 में रास्ता मन्जूर करवानें का आवेदन पत्र दिया जा रहा है।

मन्जूर शुद्धा रास्ता से मुरब्बा नम्बर 7 में से होकर मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 25 तक पहुँच जाता है। इसके आगे मुरब्बा नम्बर 1 में जानें के लिये अन्य कोई विकल्प नहीं है। इस रास्ता के अलावा और कोई सुविधा जनक व छोटा कोई रास्ता भी मुरब्बा नम्बर 1 में जानें के लिये नहीं है। ऐसी सूरत में प्रार्थी को निजी आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए रास्ता मन्जूर किया जाना इन्साफ की दृष्टि से आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

लगातार 2

प्रार्थी जो किला नम्बर 21 ता 24 मुरब्बा नम्बर 2 में रास्ता मन्जूर करवानें के लिये प्रार्थना पत्र दे रहा है। इसके लिये अप्रार्थीगण की हक रस्सी पूरी करनें के लिये जो कानून के अनुसार डी.एल.सी. रेट की दुगनी राशि देनें के लिये तैयार है, जब भी अदालतवाला आदेश देगी जो प्रार्थी डी.एल.सी. रेट की दुगनी राशि जमा करवा देगा।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 16 जैड के मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 21 ता 24 में से 2–2 बिस्वा रास्ता मन्जूर किये जानें का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट मंगवाई गई, तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 09.05.2016 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही भिजवाते हुए नियमानुसार कार्यवाही करनें का निवेदन किया मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की :–

1. मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 55 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 21 में जगदेव कौर पत्नि गुरबच्चनसिंह जाति जटसिख साकिन 18 जैड़ के नाम दर्ज है इस प्रकार खाता संख्या 62 के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 24 माफी ग्रन्थी श्री गुरू धाम ग्राम 16 जैड के नाम से दर्ज है। व इसी प्रकार खाता संख्या 82 के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 22, 23 में धर्मपाल राम अवतारसिंह पुत्र कर्मचन्द जाति मेघवशी बहिस्सा बराबर के नाम दर्ज है। में से प्रार्थीगण रास्ता चाहते है।
2. प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। मौका पर रास्ता चालु है।
3. मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 25 तक रास्ता स्वीकृत है उसके पश्चात मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24 में प्रार्थीगण रास्ता चाहते है।

दिनांक 30.05.2016 को अप्रार्थी संख्या 4 व 5 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि चक 16 जैड के मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 21, 22, 23, 24 में रास्ता स्वीकृत करवानें के लिये आवेदन पत्र दिया था जिसमें से पूर्व में रास्ता चल रहा है। इसलिये रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है, तो हमे कोई एतराज नहीं है।

दिनांक 01.06.2016 को प्रार्थीगण द्वारा आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा अपनी भूमि किला नम्बर 21 का बेचान गुरदेव कौर को कर दिया है अतः अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का नाम डिलीट किया जाकर जगदेव कौर को प्रतिस्थापित किया जावे। जिस पर अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा नो–आबजेक्शन किये जानें पर अप्रार्थी जगदेव कौर द्वारा दिनांक 01.06.2016 को जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ता स्वीकृत करनें में सहमती जताई गई तथा कथन किया गया कि मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में से 2–2 फिट के बदले 10 फिट रास्ता देनें में हम सहमत है।

दिनांक 16.06.2016 को धर्मपाल पुत्र श्री कर्मचन्द जाति मेघवंशी द्वारा आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दौरानें प्रार्थना पत्र जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम दर्ज हुआ है, अतः प्रार्थी को बतौर पक्षकार दर्ज किया जावे जिस पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा नो–आबजेक्शन किये जानें पर धर्मपाल पुत्र श्री कर्मचन्द जाति मेघवंशी को बतौर अप्रार्थी दर्ज किया गया।

अप्रार्थी धर्मपाल द्वारा किसी प्रकार का जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करनें के कारण दिनांक 21.09.2016 को उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

लगातार 3

दौरानें बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र एवम् जबाब प्रार्थना पत्र के अनुसार ही रास्ता स्वीकृत किये जानें के कथन किये।

विद्वान अधिवक्तागणों की बहस का मनन किया गया तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवम् जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किये जानें पर रास्ता स्वीकृत करना न्यायोचित पाया गया।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत चक 16 जैड के मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 21 ता 24 में से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें तथा अप्रार्थीगण को रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसीलदार सम्बंधित खातेदार को उनके हिस्से के अनुसार वितरित करनें के उपरान्त राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 5-10-16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर